प्रो. श्यामा रथ
सदस्य सचिव
Prof. Shyama Rath
Member Secretary

सत्यमेव जयते

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
दूरभाष : 011–29581399
ई–मेल : ms@aicte-india.org

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVT. OF INDIA)
Ministry of Education, Govt. of India
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Phone : 011-29581399
E-mail : ms@aicte-india.org

F. No. 1-101/AICTE/PGRC/Regulations/2026 Date: 13.08.2026

Circular

Dear Sir/Madam,

Subject: Request to strictly implement/adhere the measures by constituting mandatory Committees and notify their details on their website.

For effective redressal/disposal of grievances/complaints of students, faculty/staff members etc., AICTE has been framed various Regulations and adherence/implementation of the measures/mechanism prescribed under the provisions of these Regulations are mandatory for all AICTE approved institutions/universities by constituting the respective Committee and strictly notifying their details on their websites, such as:

1. **Grievance Redressal Committee (GRC)**
   All India Council for Technical Education (Redressal of Grievance of Faculty/Staff Member) Regulations, 2021.
2. **Student Grievance Redressal Committee (SGRC)**
   All India Council for Technical Education (Redressal of Grievance of Students) Regulations, 2019.
3. **Anti-Ragging Committee (ARC)**
   All India Council for Technical Education (Prevention and Prohibition of ragging in technical Institutions, Universities including Deemed to be universities imparting technical education) Regulations, 2009.
4. **IC (Internal Committee)**
   All India Council for Technical Education (Gender Sensitization, Prevention and Prohibition of Sexual Harassment of Women Employees and Students and Redressal of Grievances in Technical Institutions) Regulations, 2016.
5. **SC/ST Committee**
   As per the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, No. 33 of 1989, dated 11.09.1989.
6. **Ombudsperson**
   University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023.

In view of above, all institutions/universities are hereby requested to strictly adhere/implement the measures/mechanism prescribed under aforementioned Regulations & ensure their effective implementation and notify the details of the Committees constituted under these Regulations on their websites.

Shyama Rath
(Shyama Rath)

To

The Vice Chancellor of Affiliating Universities/Universities and
The Principals/Directors/Registrars
All AICTE Approved Technical Institutions/Universities.

प्रो. श्यामा रथ
सदस्य सचिव
Prof. Shyama Rath
Member Secretary

सत्यमेव जयते

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुज, नई दिल्ली-110070
दूरभाष : 011-29581399
ई-मेल : ms@aicte-india.org

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVT. OF INDIA)
Ministry of Education, Govt. of India
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Phone : 011-29581399
E-mail : ms@aicte-india.org

फा. सं. 1-101/अभातशिप/पीजीआरसी/विनियमन/2026

दिनांक: 13 .08.2026

परिपत्र

आदरणीय महोदय / महोदया,

विषय: अनिवार्यरूप से गठित की जाने वाली समितियों का गठन करके उनके विवरण अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित करते हुए निर्धारित उपायों को सख्ती से लागू करने/ उनका अनुपालन किए जाने के संबंध में।

विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों / कर्मचारियों आदि की शिकायतों / परिवेदनाओं के प्रभावी निवारण / निस्तारण के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) द्वारा विभिन्न विनियम बनाए गए हैं।

अभातशिप अनुमोदित सभी संस्थानों / विश्वविद्यालयों के लिए इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित उपायों / तंत्र का अनुपालन / क्रियान्वयन किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित अनिवार्यत: गठित की जाने वाली समितियों का गठन करते हुए उनके विवरण को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अधिसूचित किया जाना आवश्यक है, जैसे:

1. **शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)**
   अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (संकाय / स्टाफ सदस्य की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2021

2. **छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)**
   अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019

3. **रैगिंग रोधी (एंटी-रैगिंग) समिति (एआरसी)**
   अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, जिसमें तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले मानित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियम, 2009

4. आंतरिक समिति (आईसी)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक संवेदनशीलता, यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निषेध तथा शिकायतों का निवारण) विनियम, 2016

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समिति (एससी/एसटी समिति)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम सं. 33), दिनांक 11.09.1989 के अनुसार।

6. लोकपाल (Ombudsperson)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 ।

उक्त के आलोक में, सभी संस्थानों/विश्वविद्यालयों से एतदद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत निर्धारित उपायों/तंत्र का सख्ती से अनुपालन/क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा इन विनियमों के अंतर्गत गठित समितियों के विवरण को अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित करते हुए उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

श्यामा रथ

(श्यामा रथ)

प्रति,

संबद्ध विश्वविद्यालयों / विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा
सभी अभातशिप अनुमोदित तकनीकी संस्थानों / विश्वविद्यालयों के
प्राचार्य / निदेशक / कुलसचिव ।